निःशुल्क सत्यप्रतिलिपि

न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग छिन्दवाडा म.प्र.

—:समक्षः—

श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर .....अध्यक्ष
श्री मोहन सोनी .....सदस्य
नीता मालवीया .....सदस्य

परिवाद प्रकरण कमांक-CC/174/2024
परिवाद संस्थित दिनांक —27.12.2024

दीपम भोयरकर पिता स्व0 राजेश भोयरकर उम्र 29,
निवासी—वार्ड नं 3, शिक्षक कॉलोनी, खजरी रोड़,
छिंदवाड़ा थाना, तह0 व जिला छिंदवाड़ा म0प्र0

..... परिवादी / आवेदक

:—विरूद्ध —:

प्रबंधक द ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,
परासिया रोड़ छिंदवाड़ा, तहसील एवं जिला छिंदवाड़ा म0प्र0

....विपक्षी / अनावेदक

आवेदक द्वारा श्री अजय पालीवाल अधिवक्ता उप0 ।
अनावेदक द्वारा श्री राजभान सिंह अधिवक्ता उप0।

// आदेश //

(दिनांक 20/11/2025 को पारित)

मोहन सोनी, सदस्य के अनुसार —

1. परिवादी के स्वामित्व का वाहन बीमित अवधि में चोरी हो जाने के पश्चात अनावेदक बीमा कम्पनी के समक्ष बीमा दावा प्रस्तुत करने पर अनावेदक द्वारा उसे अस्वीकार किए जाने से व्यथित होकर परिवादी द्वारा सेवा में कमी का आरोप लगाते हुए और इस जिला आयोग के

The complaint is Partly Allowed *दिनांक— 20/11/2025*

आर्थिक और भौगोलिक क्षेत्राधिकार में वाद कारण उत्पन्न होने से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 35 के अंतर्गत परिवाद प्रस्तुत कर अनावेदक से अपने बीमित वाहन की बीमा राशि 23 लाख रुपए और मानसिक, शारीरिक और आर्थिक परेशानी की क्षतिपूर्ति के मद में 5 लाख रुपए दिलाए जाने की याचना की है।

2. प्रस्तुत परिवाद का सारांश इस प्रकार है कि परिवादी दीपम भोयरकर द्वारा वर्ष 2019 में एक डंफर वाहन सांघीय ब्रदर्स प्राईवेट लिमिटेड, परासिया रोड, परतला, तहसील व जिला छिन्दवाड़ा से 31,50,000/- (इकतीस लाख पचास हजार) रूपये में क्रय किया गया था, जिसका पंजीयन क्रमांक MP-22-H-5777 है तथा जिसका MAT 448856K3B05823, इंजिन नंबर ISB59B4SI80K19, मॉडल NPK 2518 & BSIV है।जिसे परिवादी द्वारा अनावेदक की बीमा कंपनी द ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से उसके उपरोक्त डंफर वाहन का बीमा कराया गया था जिसकी बीमा पॉलिसी नंबर 153901/31/2023/148 जो दिनांक 08/4/2022 से 07/4/2023 तक की अर्धरात्रि तक वैद्य रूप से बीमित था । दिनांक 19/5/2022 के शाम 5 बजे से दिनांक 20/5/2022 के सुबह 6 बजे के बीच ग्राम झण्डा रिंग रोड से नितेश बेलवंशी के प्लॉट से चोरी हो गया था । जिसकी तलाश करने पर वाहन नहीं मिला । वाहन के साथ वाहन में रखे दस्तावेज आर.सी., इंश्योरेंस की कॉपी, परमिट एवं फिटनेस भी चोरी हो गये थे। परिवादी द्वारा उक्त घटना की लिखित शिकायत की गई थी जिसके पश्चात वाहन की तलाश की गई तथा वाहन न मिलने पर दिनांक 23/5/2023 को परिवादी की शिकायत पर थाना देहात में अज्ञात के विरूद्ध अपराध क्रमांक 254/2023 पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई थी। पश्चातवर्ती स्थिति में पुलिस के द्वारा उक्त वर्णित वाहन की तलाशी करने के पश्चात खत्मा की सूचना परिवादी को दी गई । इसके पश्चात परिवादी द्वारा उक्त वर्णित बीमित वाहन के बीमा दावा से संबंधित दावा प्रपत्र बीमा कंपनी के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे बीमा कंपनी के द्वारा विलम्ब से सूचना दिए जाने के आधार पर खारिज कर दिया गया । जिससे व्यथित होकर परिवादी द्वारा उक्त वर्णित अनुतोष दिलाए जाने की याचना की है।

3. अनावेदक विपक्षी बीमा कंपनी ने अपने लिखित कथन में परिवाद पत्र के महत्वपूर्ण अभिवचनों को अस्वीकार करते हुए जो अभिवचन किए है उनका सारांश इस प्रकार है कि उपरोक्त वर्णित वाहन की चोरी की सूचना पुलिस को 10 दिन बाद एवं बीमा कंपनी को 7 माह बाद दी गई जबकि बीमा प्रावधान के अनुसार घटना की सूचना तत्काल देना अनिवार्य है परिवादी के द्वारा कथित चोरी की घटना की सूचना तत्काल बीमा कंपनी को नहीं दिए जाने से बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन है जिससे आवेदक इस बीमा कंपनी से कोई भी राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इसके अतिरिक्त अनावेदक बीमा कंपनी द्वारा अपने लिखित कथन की कंडिका 14 में यह कथन भी स्पष्टत: किया है कि परिवादी द्वारा वास्तविक तथ्यों को छुपाया गया है जो की बीमा पॉलिसी का उल्लंघन है जिससे परिवादी, अनावेदक से कोई भी राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है इसके साथ ही अनावेदक बीमा कंपनी के द्वारा इस परिवाद को निरस्त किए जाने का निवेदन भी किया ।

4. **<u>प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं:-</u>**

अ. क्या परिवादी और विपक्षी बीमा कंपनी के मध्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत उपभोक्ता और सेवा प्रदाता के संबंध स्थापित होते हैं?

The complaint is Partly Allowed *दिनांक–* *20/11/2025*

निःशुल्क सत्यप्रतिलिपि

ब. क्या बीमा पॉलिसी के प्रभावशील रहते उक्त वर्णित प्रश्नाधीन वाहन के चोरी हो जाने के पश्चात परिवादी द्वारा प्रस्तुत बीमादावा को विपक्षी बीमा कंपनी द्वारा निरस्त कर परिवादी के विरुद्ध सेवा में कमी कारित की गई है?

स. क्या परिवादी विपक्षी बीमा कंपनी से सहायता एवं व्यय प्राप्त करने का अधिकारी है?

निष्कर्ष आधार

विचारणीय प्रश्न क्रमांक अ,ब और स :-

5.. साक्ष्य तथा दस्तावेजों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए और सुविधा की दृष्टि से उपरोक्त प्रश्नों पर एक साथ विचार किया जा रहा है । उभयपक्षों की ओर से अभिलेख पर प्रस्तुत की गई मौखिक साक्ष्य (शपथ पत्र)एवं लिखित साक्ष्य एवं सामग्री का परिशीलन कर उनके अंतिम तर्क पर सावधानी पूर्वक विचार किया गया।

6. उभयपक्ष के मध्य यह तथ्य निर्विवादित है कि परिवादी का उपरोक्त वर्णित वाहन अनावेदक की बीमा कंपनी से बीमित था ।

7. यह सामान्य ज्ञान का विषय है कि बीमा कंपनी अपने ग्राहकों से प्रतिफल के रूप में कुछ धनराशि लेकर बीमा की सेवाएं प्रदान करती है । उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 2 (42) में परिभाषित "सेवा" के अंतर्गत बीमा सेवाएं सम्मिलित की गई है, और इस अधिनियम की धारा 2(7)में परिभाषित "उपभोक्ता" शब्द के अंतर्गत परिवादी द्वारा उक्त वर्णित वाहन के बीमा हेतु प्रीमियम की राशि विपक्षी बीमा कंपनी को अदा की गई थी,अतः उभयपक्षों के मध्य उक्त संव्यवहार से यह प्रमाणित होता है कि परिवादी, विपक्षी की बीमा कंपनी का "उपभोक्ता"है और विपक्षी "सेवा प्रदाता" है ।

8. परिवादी द्वारा दिनांक 08/04/2025 को अपने पक्षपुष्टि हेतु स्वयं का साक्ष्य का शपथ पत्र प्रस्तुत कर स्पष्टतः कथन किया है कि अनावेदक बीमा कंपनी के द्वारा उसके उक्त वर्णित बीमित वाहन का बीमादावा जानबूझकर निरस्त किया है जो सेवा में कमी और विधि के विरुद्ध आचरण है यह कथन भी किया है कि उक्त वाहन के साथ वाहन में रखे दस्तावेज आरसी, इंश्योरेंस की कॉपी, परमिट एवं फिटनेस के दस्तावेज भी चोरी हो गए थे । ***कंडिका 8 में परिवादी द्वारा यह संकथन भी किया है कि मेरे द्वारा वाहन चोरी होने के तुरंत बाद ही थाने में वाहन चोरी के संबंध में सूचित किया जा चुका था ।थाना देहात छिंदवाड़ा द्वारा जांच पश्चात विलंब से प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख किए जाने के लिए में उत्तरदाई नहीं हूं और ना ही इस वजह से अनावेदक द्वारा मुझे बीमा की राशि देने से बचा जा सकता*** है।

9. अनावेदक बीमा कंपनी द्वारा पक्ष पुष्टि में श्रीमती राजकुमारी कैथवास टीपी हब प्रभारी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जबलपुर का साक्ष्य का शपथ पत्र दिनांक 16.06.2025 को प्रस्तुत किया है जिसमें उनके द्वारा कंडिका 3 में यह कथन स्पष्टतः कथन किया है कि परिवादी/वाहन स्वामी के द्वारा कथित वाहन की चोरी की पुलिस को सूचना 10 दिन बाद एवं इस

बीमा कंपनी को चोरी की सूचना 7माह बाद दी गई जबकि बीमा प्रावधान के अनुसार घटना की सूचना बीमा कंपनी को तत्काल देना अनिवार्य है । इस प्रकार परिवादी के द्वारा बीमा कंपनी को विलंब से सूचना दिए जाने और बीमा पॉलिसी शर्तों का उल्लंघन किए जाने के कारण परिवादी का दावा निरस्त किया गया।

अनावेदक बीमा कंपनी के साक्षी द्वारा निम्न कथन भी स्पष्ट लेख किए हैं :-

परिवादी द्वारा कथित चोरी हुए वाहन को अपने घर से 5 किमी. की दूरी पर बिना किसी सुरक्षा उपाय के सूनसान जगह पर जहाँ कोई नहीं रहता था(जिस डम्पर में हेल्पर भी नहीं था)खड़ा किया था,जबकि बीमा प्रावधान के अनुसार वाहन की समुचित सुरक्षा प्रदान किये जाने का उत्तरदायित्व वाहन स्वामी का होता है। आवेदक / परिवादी द्वारा घटना के समय वाहन को समुचित सुरक्षा न प्रदान कर बीमा पॉलिसी शर्त का उल्लंघन किया है । और परिवादी के द्वारा कथित वाहन को चोरी किये जाने के संबंध में अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध पुलिस रिपोर्ट दर्ज किये जाने माननीय आयोग में परिवाद लाया जाता है । उसी दिनॉक को वाहन के संबंध में अभियुक्तगण आवेश, मोहसीन, दिलीप एवं असलम के विरूद्ध धारा 383,384,420,468 एवं 120 बी के तहत संज्ञान लिये जाने की प्रार्थना की जाती है,आवेदक / परिवादी और अभियुक्तों के विरूद्ध कथित वाहन के संबंध में काफी समय से विवाद भी रहा है जिससे स्पष्ट है कि कथित वाहन को आवेदक / परिवादी द्वारा मिलीभगत कर चोरी करवा दिया गया । और यह कथन भी किया है कि परिवादी के द्वारा मान्नीय न्यायालय छिंदवाड़ा में कथित वाहन के संबंध में परिवाद दिनॉक 05/12/2022 को प्रस्तुत किया गया जबकि इस अनावेदक बीमा कंपनी के समक्ष कथित वाहन का चोरी का दावा दिनाँक 13/12/2022 को प्रस्तुत किया गया जबकि कथित चोरी की दुर्घटना दिनाँक 20/05/2022 थी। इस प्रकार अन्य संकथन में विपक्षी बीमा कंपनी ने परिवादी के वाहन का बीमा कंपनी के इन्वेस्टीगेटर से इन्वेस्टीगेशन कराया गया था । जिसमें इन्वेस्टीगेटर के द्वारा यह पाया गया था कि कथित उपरोक्त वाहन परिवादी के पास 38 महिनों से दुर्घटना के पहले से ही कब्जे में नहीं था ,अर्थात् चोरी के घटना के 38 महीने पहले से ही वाहन किसी अन्य के कब्जे में था । जिससे स्पष्ट है कि कथित वाहन की चोरी नहीं हुई है बल्कि आवेदक / वाहन स्वामी के द्वारा उक्त प्रश्नाधीन् वहां की चोरी करवाई गई थी ।

10. परिवादी द्वारा अपने पक्ष समर्थन में लेख सूची अनुसार दस्तावेज प्रदर्श C - 1 लगायत C - 15 प्रस्तुत किए हैं जिसमें प्रदर्श C - 10 प्पर विपक्षी बीमा कंपनी के सर्वेयर की रिपोर्ट प्रस्तुत है उस रिपोर्ट में उनके द्वारा लगभग वही कथन लेखबद्ध किए हैं जो विपक्षी के साक्षी द्वारा अपने साक्ष्य के शपथ पत्र में प्रस्तुत किए हैं ।

11. विपक्षी बीमा कंपनी द्वारा अपने अभिवचन की कंडिका 15 में यह संकथन किया है कि उक्त वर्णित वाहन परिवादी के पास विगत 38 महीनो से नहीं था। अब विचार के लिए यह प्रश्न उठता है कि क्या यह आक्षेप परिवादी के उक्त वर्णित बीमित वाहन के बीमा दावा खारिज करने के लिए पर्याप्त है जिसके संबंध में आयोग का मत है कि उक्त वर्णित बीमित वाहन के चोरी के पहले किसके कब्जे में था और बाद में परिवादी के कब्जे में था, इससे उक्त बीमित वाहन का बीमादावा को निरस्त करने का कोई विधिक कारण विपक्षी कंपनी द्वारा लेखबद्ध भी नहीं किया है और ना इस संबंध में कोई साक्ष्य व दस्तावेज या अन्य कोई अनुबंध पत्र प्रस्तुत किया है।

यहां यह कथन भी उल्लेख करना आवश्यक है कि विपक्षी बीमा कंपनी ने अपने लिखितकथन की कंडिका 14 में यह उल्लेख किया है कि उक्त वर्णित वाहन का परिवाद ,परिवादी द्वारा माननीय न्यायालय छिंदवाड़ा में दिनांक 5/12/2022 को प्रस्तुत किया इसके संदर्भ में आयोग यह पता है कि हस्तगत प्रकरण में परिवादी द्वारा परिवाद में यह कथन किया है कि उसका वाहन दिनांक

19/05/ 22 की शाम 5:00 बजे से दिनांक 20/05/2022 के दरमियान चोरी हुआ था , इसके संदर्भ में अंतिम तर्क के दौरान दौरान परिवादी के द्वारा समक्ष में यह कथन किया है कि उसके द्वारा शक होने की दशा में उक्त वाहन की चोरी के लिए उसके द्वारा वह परिवाद प्रस्तुत किया था ताकि किसी भी प्रकार उसका वाहन उसे मिल जाए। जिस पर परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि उक्त वाहन के संदर्भ में पुलिस द्वारा F I R ना लिखे जाने के कारण परिवादी द्वारा वह परिवाद प्रस्तुत किया था जो उसका विधिक अधिकार है उससे उसके उपभोक्ता होने के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न नहीं होता है। क्योंकि इस आयोग में यह प्रकरण उपभोक्ता अधिकार के विरुद्ध विपक्षी बीमा कंपनी पर आक्षेप और साक्ष्य व दस्तावेजके साथ प्रस्तुत किया है।

12. *अंतिम तर्क के दौरान परिवादी ने यह कथन समक्ष में व्यक्त किया है कि उसका उक्त वर्णित वाहन चोरी हो गया था जिसमें उसके मूल दस्तावेज थे और चोरी के पश्चात जब वह तत्काल देहात थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखवाने गया तब उससे उक्त वाहन के मूल दस्तावेज मांगे गए इसके पश्चात उसके द्वारा उक्त वाहन की पता साजी करने का प्रयास किया पश्चातवर्ती स्थिति में उक्त वाहन की पुलिस के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई । और यह कथन भी किया है कि उसके ड्राइवर नितेश बेलवंशी के द्वारा पुलिस अधीक्षक को दिनांक 31/05/2022 को एक प्रार्थना पत्र भी उक्त वर्णित वाहन की रिपोर्ट लिखने और उसे ढूंढने बाबत दिया था । जिसमें उसके द्वारा यह निवेदन किया था कि नितेश बेलवंशी परिवादी के साथ मिलकर उक्त वाहन को चलाता था,चोरी के पश्चात उनके द्वारा आसपास पूछने पर भी वाहन नहीं मिला था जिसमें वाहन के मूल दस्तावेज,जैक,पाना टूलकिट आदि थे। इसके संदर्भ में परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अंतिम तर्क के दौरान हस्तगत प्रकरण में प्रदर्श C -8 दस्तावेज का संदर्भ दिया गया।*

13. अंतिम तर्क के दौरान परिवादी के अधिवक्ता द्वारा यह कथन भी किया गया कि परिवादी के घर के पास बिजली के तार बहुत नीचे हैं जिससे डंपर टकराता था इसलिए वह डंपर ड्राइवर निलेश बेलवंशी के घर के पास उसके प्लाट पर ही खड़ा रहता था, और वहीं से वाहन चोरी भी हुआ था ।

14. विचार के लिए प्रश्न उठता है कि क्या पुलिस के द्वारा उक्त वर्णित वाहन की प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से दर्ज किए जाने पर परिवादी/उपभोक्ता का दोष बीमा कंपनी द्वारा माना जाना न्यायोचित है ? जिस पर इस आयोग का मानना है कि परिवादी के द्वारा उक्त वर्णित वाहन के संबंध में तत्काल परिवादी के थाने ना जाने के संबंध में विपक्षी बीमा कंपनी द्वारा कोई साक्ष्य व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे परिवादी के विलंब से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज दर्ज किए जाने के विपक्षी बीमा कंपनी के उक्त संकथन को माना जा सके ।

15. विचार के लिए यह प्रश्न भी उठना है कि विपक्षी बीमा कंपनी के सर्वेयर ने अपने सर्वे रिपोर्ट में यह तथ्य का उल्लेख नहीं किया है कि विलंब से बीमा कंपनी को सूचना दिए जाने पर बीमा कंपनी को ऐसा क्या नुकसान हुआ जिससे उसने परिवादी/उपभोक्ता का बीमा दावा निरस्त किया है।

16. विपक्षी बीमा कंपनी द्वारा पक्ष पुष्टि में लेख सूची अनुसार दस्तावेज प्रदर्शन R - 1 लगायत R - 3 प्रस्तुत किए हैं जिसमें R - 2 में उक्त वर्णित बीमित वाहन की इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू 23 लाख रुपये आकलित की गई है।

<u>हस्तगत प्रकरण के संदर्भ में निम्नलिखित न्याय दृष्टांत मार्गदर्शक है: -</u>

1. **<u>National Insurance company Ltd. V/s Harsolia Motors & Oth.(April 2023)</u>** के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया था कि वाणिज्यिक इंटरप्राइजेज को भी कुछ परिस्थितियों में उपभोक्ता माना जा सकता है।
2. **<u>Ashok Kumar V/s New India assurance company Ltd III(2023)</u>**

The complaint is Partly Allowed *दिनांक– 20/11/2025*

निःशुल्क सत्यप्रतिलिपि

CPJ 58(SC), के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि फंडामेंटल ब्रिज ना होने की स्थिति में बीमा कंपनी द्वारा बीमा दावे को संपूर्ण रूप से अमान्य किया जाना अनुचित है ।

हस्तगप्रकरण के अभिलेखों दस्तावेजों एवं साक्ष्य और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त वर्णित न्याय दृष्टांत के आधार पर हम पाते है कि विपक्षी बीमा कंपनी के द्वारा परिवादी का बीमा दावा निरस्त करने का आधार बीमा कंपनी को अनुबंध अनुसार तत्काल सूचना न दिया जाना बताया है जबकि विपक्षी द्वारा अनुबंध प्रस्तुत ही नहीं किया है ।

हस्तगत प्रकरण उपरोक्त वर्णित विवेचना के आलोक में हम पाते है कि परिवादी द्वारा बीमा कंपनी को उक्त वर्णित वाहन की चोरी की सूचना विलंम से दी गई थी जिसका कारण परिवादी द्वारा उचित रूप से नहीं दिया गया है । जिसे परिवादी की चूक मानते हुये परिवादी को हस्तगत प्रकरण में उसके उपरोक्त वर्णित बीमित वाहन की आई0डी0वी 23,00,000/– रूपये का 75 प्रतिशत (नॉन स्टेंडर्ड बेस पर) रूपये 17,25,000/– रूपये अंकन सत्रह लाख पच्चीस हजार रूपये दिलवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

हस्तगत प्रकरण में "केविएट एम्प्टर" के सिद्धांत की प्रयोज्यता युक्ति युक्त प्रतीत होती है जिसमें सेवाप्रदाता को सावधान रहने और अपने कर्तव्यों का युक्ति-युक्त पालन करने का दायित्व अधिरोपित किया गया है । यह सिद्धांत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का मूल आधार भी है । परिणामस्वरुप उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह तथ्य स्पष्ट है कि विपक्षी बीमा कंपनी द्वारा परिवादी के विरुद्ध मनमाने ढंग से बीमादावा को निरस्त कर सेवा में कमी कारित की है जिससे निश्चित रूप से परिवादी को आर्थिक और मानसिक संताप कारित हुआ है अतः परिवादी, अनावेदकगण (बीमा कंपनी) से सहायता एवं व्यय प्राप्त करने का भी अधिकारी है।

17. परिणाम स्वरुप प्रकरण की उपरोक्त वर्णित विवेचना के आलोक में यह तथ्य स्पष्ट है कि विपक्षी बीमा कंपनी द्वारा परिवादी को दी जाने वाली **"सेवा में कमी"** कारित की है अतः परिवादी विपक्षी बीमा कंपनी से सहायता एवं व्यय प्राप्त करने के भी अधिकारी है। एतत् द्वारा परिवादी का परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है और विपक्षी बीमा कंपनी के विरुद्ध निम्न आदेश की आज्ञाप्ति पारित की जाती है:-

1. यह कि विपक्षी बीमा कंपनी 45 दिवस के भीतर उक्त वर्णित बीमित वाहन के बीमाधावा के रू॰ में 23,00,000/– का 75 प्रतिशत (नॉन स्टेंडर्ड बेस पर) रूप्ये 17,25,000/– रूपये अंकन सत्रह लाख पच्चीस हजार रूपये का भुगतान परिवादी को करें और उक्त राशि पर परिवाद प्रस्तुति दिनांक से भुगतान दिनांक तक 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से भुगतान भी परिवादी को करें ।

The complaint is Partly Allowed *दिनांक–* *20/11/2025*

नि:शुल्क सत्यप्रतिलिपि

2. यह की विपक्षी बीमा कंपनी 45 दिवस के भीतर परिवादी को "सेवा में कमी" एवं "मानसिक क्षतिपूर्ति" के मद में 5,000/- रूपये (पांच हजार रूपये) का भुगतान भी करेगी अन्यथा उक्त अवधि के पश्चात उक्त राशि पर भी वाद प्रस्तुति दिनांक से भुगतान दिनांक तक 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज भी देय होगा।

3 यह की विपक्षी बीमा कंपनी परिवादी को वाद व्यय के मद में ₹2,000/- का भुगतान भी करेगी ।

4. उपरोक्त आदेश के आलोक में उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत अन्य आवेदन निराकृत माने जाएंगे।

5. आदेश की प्रति पक्षकार को नि:शुल्क प्रदान कर पावती ली जाए। प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर निर्धारित अवधि में अभिलेखागार में जमा किया जाए एवं समय सीमा में ई–जागृति पोर्टल पर भी अपलोड किया जाए।

मेरे श्रुत लेख पर लिखा गया।

(नीता मालवीया)
सदस्य
जिला उपभोक्ता आयोग
छिंदवाडा म.प्र.

(मोहन सोनी)
सदस्य
जिला उपभोक्ता आयोग
छिंदवाडा म.प्र.

20/11/2025
(उपेन्द्र कुमार सोनकर)
अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता आयोग
छिंदवाडा म.प्र.

सत्यप्रतिलिपि तैयार करने की तिथि 20/11/25
सत्यप्रतिलिपि प्रदान करने की तिथि 20/11/25

सहा. ग्रेड - II
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग
छिंदवाड़ (म.प्र.)

नि:शुल्क सत्यप्रतिलिपि
सदस्य
जिला उपभोक्ता आयोग
छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

The complaint is Partly Allowed *दिनांक– 20/11/2025*